

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एलएचवी/आर-1/सेवानिवृति/2017/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती विजयम्मा डी, एलएचवी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोलूखेडा, छबडा-जिला बारां जिनकी जन्म तिथि 30.11.1957 है के द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.11.2017 को मध्यान्ह पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

-sd

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एलएचवी/आर-1/सेवानिवृति/2017/ 295

दिनांक:- 23-11-17

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है एवं सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिका के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत कराये :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन, कोटा।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत श्रीमती विजयम्मा डी की जन्म तिथि 30.11.1957 के अनुसार दिनांक 30.11.2017 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव नियमानुसार एक वर्ष पूर्व ही भिजवाये जाने चाहिए थे, किन्तु आप द्वारा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने की तिथि 30.11.2017 से लगभग 10 दिन पूर्व ही प्रस्ताव भिजवाये हैं जो सुपरवाइजरी नेग्लिजेन्सी की श्रेणी में आता है। इस सम्बन्ध में तत्काल अपना स्पष्टीकरण भिजवाये अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, छबडा (बारां)।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोलूखेडा (बारां)
6. श्रीमती विजयम्मा डी, एल.एच.वी. द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर